भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या **3247**

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है।

**यूरिया की कमी**

**3247. कुमारी शैलजाः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में खासतौर से हरियाणा के किसान यूरिया की कमी के चलते संकटग्रस्त होने के साथ भारी घाटा उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और हरियाणा के मामले में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वे क्या कारण हैं जिनके चलते किसानों को प्रति वर्ष यूरिया की कमी का सामना करना पड़ता है; और

(घ) गरीब किसानों को पेश आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**योजना मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

 **(राव इन्‍द्रजीत सिंह)**

**(क) तथा (ख):** हरियाणा सहित देश के किसी भी भाग में यूरिया की कोई कमी नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के लिए यूरिया की राज्‍य-वार आवश्‍यकता (मांग), उपलब्‍धता तथा बिक्री को दर्शाने वाले दो विवरण क्रमश**: अनुलग्‍नक-क** तथा **अनुलग्‍नक-ख** पर रखे गए हैं। हरियाणा राज्‍य में यूरिया की उपलब्‍धता के जिले-वार ब्‍यौरे दर्शाने वाला एक दूसरा विवरण **अनुलग्‍नक-ग** पर रखा गया है। विवरणों से यह देखा जा सकता है कि यूरिया की उपलब्‍धता बिक्रि‍यों से अधिक थी तथा इसलिए कोई कमी नहीं है।

**(ग):** उपर्युक्‍त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्‍न नहीं उठता।

**-: 2 :-**

**(घ):** प्रत्‍येक फसली मौसम की शुरुआत से पूर्व कृषि, सहकारिता और किसान कल्‍याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू) सभी राज्‍य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की आवश्‍यकता का आकलन करता है। आवश्‍यकता के आकलन के पश्‍चात् डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू उर्वरकों की महीने-वार आवश्‍यकता का अनुमान लगाता है।

डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू द्वारा दिए गए महीने-वार और राज्‍य-वार अनुमान के आधार पर उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्‍यों को यथेष्‍ट/पर्याप्‍त मात्रा का आवंटन करता है तथा निम्‍नलिखित प्रणाली के माध्‍यम से उपलब्‍धता की लगातार निगरानी करता है:

1. देशभर में सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्‍त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑन लाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जा रही है, जिसे एकीकृत उवर्रक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) कहा जाता है।
2. राज्‍य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्‍य की संस्‍थागत एजेंसियों जैसे मार्कफेड आदि के माध्‍यम से रेलवे रेकों के लिए समय पर मांग पत्र प्रस्‍तुत करके आपूर्तियों को सरल बनाने के लिए उर्वरकों विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्‍वय करें।
3. कृषि एवं सहकारिता और किसान कल्‍याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्‍ल्‍यू), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और रेल मंत्रालय द्वारा राज्‍य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्‍त रूप से नियमित साप्‍ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती हैं और राज्‍य सरकारों द्वारा यथा इंगित उर्वरकों के प्रेषण के लिए सुधारात्‍मक कार्रवाई की जाती है।
4. मांग (आवश्‍यकता) और उत्‍पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्‍यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए समय पर उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के लिए आयात को भी पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्‍त उपायों के साथ उर्वरक विभाग किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करता है। देश में उर्वरकों की पर्याप्‍त उपलब्‍धता है।

\*\*\*\*\*\*\*

**-: 3 :-**

|  |
| --- |
| **अनुलग्‍नक-क** |
| **<आंकड़े '000 मी.टन में>** |
| **पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान यूरिया की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री** |
| **राज्‍य** | **वर्ष** | **यूरिया** |
| **अनुमानित आवश्यकता** | **उपलब्‍धता** | **बिक्री** |
| **आंध्र प्रदेश** | 2014-15 | 1827.00 | 1854.33 | 1806.61 |
| 2015-16 | 1835.00 | 1621.06 | 1546.82 |
| 2016-17 | 1503.36 | 1557.86 | 1438.08 |
| **असम** | 2014-15 | 315.00 | 318.68 | 316.19 |
| 2015-16 | 330.33 | 393.18 | 390.94 |
| 2016-17 | 310.00 | 323.17 | 319.28 |
| **बिहार** | 2014-15 | 1900.00 | 1942.90 | 1940.40 |
| 2015-16 | 1925.00 | 2383.51 | 2358.21 |
| 2016-17 | 1950.00 | 2015.48 | 1977.49 |
| **छत्‍तीसगढ़** | 2014-15 | 675.00 | 632.09 | 627.82 |
| 2015-16 | 675.00 | 874.43 | 845.01 |
| 2016-17 | 598.84 | 692.54 | 649.63 |
| **गोवा** | 2014-15 | 4.82 | 3.57 | 3.57 |
| 2015-16 | 4.82 | 3.64 | 3.64 |
| 2016-17 | 4.00 | 3.30 | 3.32 |
| **गुजरात** | 2014-15 | 2200.00 | 2274.84 | 2269.56 |
| 2015-16 | 2050.00 | 2131.06 | 2103.79 |
| 2016-17 | 1850.00 | 2077.17 | 2054.96 |
| **हरियाणा** | 2014-15 | 1860.00 | 2005.03 | 2001.75 |
| 2015-16 | 1860.00 | 2169.57 | 2112.76 |
| 2016-17 | 1800.00 | 2036.03 | 1962.06 |
| **हिमाचल प्रदेश** | 2014-15 | 70.00 | 67.43 | 67.36 |
| 2015-16 | 71.00 | 73.31 | 73.08 |
| 2016-17 | 58.00 | 62.25 | 62.47 |
| **जम्‍मू और कश्‍मीर** | 2014-15 | 138.00 | 116.70 | 115.93 |
| 2015-16 | 132.17 | 158.65 | 154.84 |
| 2016-17 | 129.01 | 130.38 | 128.78 |
| **झारखण्‍ड** | 2014-15 | 225.00 | 180.17 | 180.17 |
| 2015-16 | 225.00 | 239.31 | 235.05 |
| 2016-17 | 240.00 | 223.00 | 218.53 |
| **कर्नाटक** | 2014-15 | 1400.00 | 1542.23 | 1532.42 |
| 2015-16 | 1370.75 | 1537.75 | 1461.47 |
| 2016-17 | 1243.00 | 1376.21 | 1298.33 |
| **केरल** | 2014-15 | 170.00 | 135.80 | 135.80 |
| 2015-16 | 168.00 | 148.04 | 140.78 |
| 2016-17 | 86.70 | 120.80 | 114.50 |
| **मध्‍य प्रदेश** | 2014-15 | 2000.00 | 2072.97 | 2070.35 |
| 2015-16 | 2800.00 | 2483.66 | 2387.13 |
| 2016-17 | 2200.00 | 2430.60 | 2248.40 |
| **महाराष्‍ट्र** | 2014-15 | 2650.00 | 2577.51 | 2567.96 |
| 2015-16 | 2700.00 | 2401.21 | 2359.51 |
| 2016-17 | 2456.35 | 2567.26 | 2490.92 |
| **मणिपुर** | 2014-15 | 29.00 | 22.94 | 22.94 |
| 2015-16 | 33.00 | 19.35 | 19.35 |
| 2016-17 | 20.00 | 18.08 | 18.08 |
| **ओडिशा** | 2014-15 | 600.00 | 506.39 | 504.09 |
| 2015-16 | 660.00 | 609.68 | 587.15 |
| 2016-17 | 600.00 | 503.84 | 492.82 |
| **पोण्‍डिचेरी** | 2014-15 | 22.00 | 14.95 | 14.95 |
| 2015-16 | 22.00 | 13.27 | 13.27 |
| 2016-17 | 18.00 | 9.86 | 10.50 |
| **पंजाब** | 2014-15 | 2480.00 | 2735.30 | 2734.22 |
| 2015-16 | 2650.00 | 3152.24 | 3085.70 |
| 2016-17 | 2450.00 | 2711.44 | 2610.29 |
| **राजस्‍थान** | 2014-15 | 1850.00 | 1848.65 | 1846.61 |
| 2015-16 | 1925.00 | 2095.64 | 2077.11 |
| 2016-17 | 1790.00 | 2057.67 | 1994.87 |
| **तमिलनाडु** | 2014-15 | 1000.00 | 990.32 | 989.64 |
| 2015-16 | 1050.00 | 1140.78 | 1117.33 |
| 2016-17 | 868.30 | 807.43 | 793.63 |
| **तेलंगाना** | 2014-15 | 1423.00 | 1246.70 | 1236.15 |
| 2015-16 | 1429.00 | 1334.78 | 1256.44 |
| 2016-17 | 1390.00 | 1673.36 | 1549.09 |
| **त्रिपुरा** | 2014-15 | 35.00 | 21.80 | 21.80 |
| 2015-16 | 35.00 | 25.74 | 23.52 |
| 2016-17 | 25.50 | 30.71 | 28.77 |
| **उत्‍तर प्रदेश** | 2014-15 | 6200.00 | 6313.85 | 6253.57 |
| 2015-16 | 5947.00 | 6013.29 | 5798.64 |
| 2016-17 | 5850.00 | 5800.68 | 5496.33 |
| **उत्‍तराखण्‍ड** | 2014-15 | 250.00 | 281.71 | 279.85 |
| 2015-16 | 245.00 | 371.50 | 360.42 |
| 2016-17 | 235.00 | 358.42 | 353.67 |
| **प.बंगाल** | 2014-15 | 1320.00 | 1313.10 | 1312.08 |
| 2015-16 | 1264.90 | 1486.81 | 1438.00 |
| 2016-17 | 1215.00 | 1304.03 | 1273.13 |
| **अखिल भारत** | **2014-15** | **30670.57** | **31042.07** | **30873.89** |
| **2015-16** | **31335.25** | **32899.57** | **31968.05** |
| **2016-17** | **28909.27** | **30907.62** | **29607.20** |

**-: 5 :-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **अनुलग्‍नक-ख**  |
|  |  | **<आंकड़े '000 मी.टन में>** |
| **2017-18 (20.03.2018 तक) के दौरान यूरिया की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री** |
|  | **यूरिया** |
| **राज्‍य**  | **आवश्‍यकता**  | **उपलब्‍धता**  | **बिक्री**  |
| आंध्र प्रदेश | 1550.00 | 1438.55 | 1390.97 |
| असम | 295.00 | 356.81 | 347.04 |
| बिहार  | 2100.00 | 2009.03 | 1961.69 |
| छत्‍तीसगढ़  | 670.00 | 635.76 | 567.62 |
| गोवा  | 2.88 | 2.23 | 2.23 |
| गुजरात  | 2000.00 | 2239.80 | 2188.28 |
| हरियाणाा  | 1800.00 | 2075.95 | 1997.44 |
| हिमाचल प्रदेश  | 66.00 | 69.16 | 67.69 |
| जम्‍मू और कश्‍मीर  | 128.01 | 134.70 | 123.09 |
| झारखण्‍ड  | 240.00 | 213.26 | 205.43 |
| कर्नाटक  | 1350.00 | 1338.04 | 1283.34 |
| केरल  | 110.00 | 134.95 | 130.02 |
| मध्‍य प्रदेश  | 2200.00 | 2417.43 | 2279.65 |
| महाराष्‍ट्र  | 2700.00 | 2302.87 | 2246.75 |
| मणिपुर  | 22.00 | 20.77 | 20.77 |
| ओडिशा  | 525.00 | 512.30 | 505.75 |
| पुडुचेरी  | 14.00 | 10.46 | 10.19 |
| पंजाब  | 2550.00 | 2799.80 | 2713.03 |
| राजस्‍थान  | 1850.00 | 1687.90 | 1647.70 |
| तमिलनाडु | 900.00 | 850.67 | 847.75 |
| तेलंगाना  | 1380.00 | 1420.09 | 1377.83 |
| त्रिपुरा  | 43.00 | 17.68 | 17.68 |
| उत्‍तराखण्‍ड  | 235.00 | 314.02 | 304.24 |
| उत्‍तर प्रदेश  | 5850.00 | 6105.61 | 5758.27 |
| प. बंगाल  | 1250.00 | 1207.91 | 1171.69 |
| **कुल** | **29852.29** | **30334.96** | **29185.30** |

|  |
| --- |
| **-: 6 :-****अनुलग्‍नक-ग** |
| **<आंकड़े '000 मी.टन में>** |
| **2017-18 (20.03.2018 के अनुसार) हरियाणा राज्य में जिला-स्तर पर यूरिया की उपलब्धता और बिक्री** |
| **जिला**  | **उपलब्‍धता**  | **बिक्री**  |
| अंबाला | 73.77 | 73.19 |
| भिवानी | 106.08 | 99.86 |
| फरीदाबाद | 12.42 | 11.95 |
| फतेहाबाद | 146.33 | 142.22 |
| गुडगाँव | 18.65 | 18.08 |
| हिसार | 148.88 | 141.00 |
| झज्जर | 41.24 | 40.82 |
| जींद | 171.81 | 168.88 |
| कैथल | 152.51 | 145.60 |
| करनाल | 198.45 | 192.61 |
| कुरुक्षेत्र | 134.89 | 129.95 |
| महेंद्रगढ़ | 51.00 | 49.54 |
| मेवात | 35.00 | 34.15 |
| पलवल | 96.82 | 94.96 |
| पंचकुला | 11.23 | 11.10 |
| पानीपत | 90.84 | 84.76 |
| रेवाड़ी | 53.21 | 52.19 |
| रोहतक | 67.84 | 62.91 |
| सिरसा | 210.43 | 196.60 |
| सोनीपत | 121.91 | 117.79 |
| यमुनानगर | 132.50 | 129.23 |
| **कुल** | **2075.81** | **1997.44** |

\*\*\*\*\*\*\*